

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या -507/2012/हनुमानगढ़

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त-ए, हनुमानगढ़।

.....अपीलार्थी.

बनाम्
मैसर्स एस0एल0 इण्डस्ट्रीज, हनुमानगढ़।

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित ::

श्री अनिल पोखरणा,
उप-राजकीय अभिभाषक।
श्री एस.एम.पेडीवाल, अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.
.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05.06.2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी विभाग की ओर से उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिन्हें आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) की अपील संख्या 368/आरवेट/हनुमानगढ़/2010-11 राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23, 24, 55, 58, 18, 4(2), 2(33) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 14.06.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील निर्णय में अपास्त की गई मांग राशि, जिनके विरुद्ध वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, हनुमानगढ़ (जिन्हें आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा यह अपील पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा रॉ कॉटन से जिनिंग प्रेसिंग की जाकर रूई, बिनौला तथा बिनौला से बिनौला तेल एवं खल का निर्माण किया जाता है। इन उत्पादों रूई, बिनौला तेल एवं खल बिनौला का व्यवहारी राज्य एवं अंतर्राज्यीय में विक्रय करता है। निर्माण प्रक्रिया में कॉटन से रूई 35 प्रतिशत, तेल बिनौला 7.5 प्रतिशत तथा खल बिनौला 53 प्रतिशत वजनानुसार निर्मित होता है। खल बिनौला कीमत में 25 प्रतिशत होती है। प्रत्यर्थी रॉ-कॉटन की स्थानीय खरीद पर शतप्रतिशत इनपुट क्रेडिट का क्लेम किया है। सशक्त अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा निर्मित बिनौला खल के कर मुक्त होने के कारण आनुपातिक आधार पर खरीदे गये कच्चे माल पर चुकाये गये कर के संबंध में व्यवहारी द्वारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया है, उसे रिवर्स कर दिया। व्यवहारी द्वारा किए गए रिवर्स टैक्स रूपये 19,21,438/- एवं क्रय कर रूपये 4,90,156 तथा ब्याज रूपये 4,51,350/- कुल रूपये 28,62,944/- आरोपित किए गए। व्यवहारी द्वारा सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशियों को अपास्त किया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह द्वितीय अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी हैं।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण के समान ही अन्य प्रकरण (माननीय कर बोर्ड के मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर की अपील संख्या 590-591/2008/श्रीगंगानगर में पारित निर्णय दिनांक 13.3.2009) के विरुद्ध विभाग द्वारा प्रस्तुत सेल्स टैक्स निगरानी याचिका आंशिक रूप से

Amal Kumar
05/06/17

लगातार.....2

स्वीकार करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 के अभिनिर्णय में वेट अधिनियम की धारा 18(1) के विशिष्ट प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कच्चे माल गेहूं से निर्मित कर मुक्त माल चौकर की बिक्री की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुज्ञेय नहीं होने से रिवर्स टैक्स आरोपण को विधिसम्मत माना गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी की ओर से आलौच्य अवधियों में रूई/तिलहन की खरीद पर क्लेम किये गये समग्र इनपुट टैक्स क्रेडिट में से कर मुक्त माल बिनौला खल की बिक्री के अनुपात में आई.टी.सी. की देयता नहीं मानते हुए इसका रिवर्स टैक्स एवं अपंजीकृत खरीद के लिये क्रय कर आरोपित किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी द्वारा क्लेम किये गये आई.टी.सी. क्लेम को विधिसम्मत मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित रिवर्स टैक्स, क्रय कर एवं ब्याज को अपास्त किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

बहस के दौरान व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि व्यवहारी द्वारा राज्य के भीतर नरमा, कपास एवं बिनौला का क्रय किया जाकर इसका तेल/रूई निर्माण में उपयोग किया गया है तथा इस निर्माण प्रक्रिया में खल बिनौला एक आवश्यक बाई-प्रोडक्ट निकलता है। व्यवहारी द्वारा बिनौला तेल विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल के मूल्य पर समग्र आई.टी.सी. विधिनुसार क्लेम किया गया था, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त कच्चे माल से निर्मित कर मुक्त खल बिनौला की बिक्री के अनुपात में आई.टी.सी. की देयता नहीं मानते हुए रिवर्स टैक्स एवं ब्याज आरोपित किये जाने में विधिक त्रुटि की गई थी। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी के प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित रिवर्स टैक्स, क्रय कर एवं ब्याज को उचित रूप से अपास्त किया गया है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक व्यवहारी द्वारा राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावलियों पर उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

प्रकरण में व्यवहारी द्वारा राज्य के पंजीकृत/अपंजीकृत व्यवहारियों से खरीद किये गये रॉ-कॉटन का उपयोग बिनौला तेल एवं रूई के विनिर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में किया गया है, जिसमें तेल एवं रूई कर योग्य उत्पाद हैं एवं खल बिनौला कर मुक्त है; जिसका राज्य के भीतर एवं राज्य के बाहर विक्रय किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधि के दौरान व्यवहारी की ओर से कच्चे माल के रूप में खरीदे गये उक्त नरमा, कपास एवं बिनौला के मूल्य पर क्लेम किये गये समग्र इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे पर विचारण के पश्चात वेट अधिनियम की धारा 18(1) के प्रावधानों के आलोक में विक्रय किये गये कर योग्य माल के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल के मूल्य पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देय होने एवं कर मुक्त बिक्रीत माल के अनुपात में रूई पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देय नहीं होना मानते हुए इस पर रिवर्स टैक्स, ब्याज एवं अपंजीकृत व्यवहारियों से क्रय किये जाने के आधार पर आनुपातिक क्रय कर आरोपित किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

Amr Kumar
05/06/17

h

लगातार.....3

प्रकरण के सम्बन्ध में विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा उद्धरित किये गये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय कर बोर्ड के मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर की अपील संख्या 590-591/2008/श्रीगंगानगर में पारित किये गये निर्णय दिनांक 13.3.2009 के विरुद्ध विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई एस.बी.सिविल सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन संख्या 193-194/2009 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 8.12.2011 (32 टैक्स अपडेट 03) द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर पारित अभिनिर्णय के पैरा संख्या 20 व 21 में प्रतिपादित सिद्धान्त निम्न प्रकार है :-

"20. In the considered opinion of this Court, therefore, in view of specific provisions contained in Section 18 of the VAT Act of 2003, the ratio of the judgments relied upon by the learned counsel for the respondent-assessee would in fact support the case of the Revenue, and as a necessary corollary, it deserves to be held following these aforesaid judgments, that input tax credit in the present case, was rightly reduced and was allowed only proportionately to the extent of manufacturing and sale of taxable goods by the assessee in the present case, namely, "Aata", "Maida" and "Suji", manufactured out of raw material (wheat) and such input tax credit could not be allowed to the extent of sale of VAT exempted goods, namely, wheat bran (Chaff/Chokar), which has been assessed by the Assessing Authority to the extent of 25% of the input tax credit and reverse tax has been imposed on the respondent-assessee.


21. Therefore, as far as impugned order of learned Tax Board dated 13.03.2009 to the extent of setting aside the imposition of reverse tax disallowing the proportionate input tax credit is concerned, the same cannot be sustained and deserves to be quashed by this Court, and to that extent the revision petitions filed by the petitioner-Revenue deserve to be allowed.

अतएव माननीय उच्च न्यायालय के उक्त अभिनिर्णय में व्यवहारी के विरुद्ध कर मुक्त उत्पाद के अनुपात में इनपुट टैक्स क्रेडिट अस्वीकार करते हुए रिवर्स टैक्स आरोपण विधिनुकूल है। अतः उपरोक्त सिद्धान्त के अनुसार आनुपातिक करमुक्त खल में प्रयुक्त इनपुट पर आरोपित रिवर्स कर एवं ब्याज को अपास्त करने संबंधी अपीलीय अधिकारी का आदेश विधिनुकूल नहीं ठहरता है।


इसी प्रकार व्यवहारी द्वारा अपंजीकृत व्यवहारियों से क्रय की गयी नरमा, कपास व बिनौला पर आनुपातिक क्रय कर का दायित्व होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित क्रय कर के आरोपण किये जाने में भी किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित क्रय कर के सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई विवेचन किये बिना क्रय कर अपास्त किया गया है। अतः इस बिन्दु पर भी अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में राजस्व द्वारा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील पूर्णतः स्वीकार की जाती हैं तथा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।


(राजीव चौधरी)

सदस्य


5.6.2012
(मदन लाल)

सदस्य